

असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 501] No. 501]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 20, 2016/आषाढ़ 29, 1938

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 20, 2016/ ASADHA 29, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2016

सा.का.नि. 709(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त षितयों का प्रयोग करते हुए और वन शिक्षा निदेशालय, देहरादून स्टाफ कार ड्राईवर (श्रेणी—1) भर्ती नियम, 2000 को, जहाँ तक उसका संबंध स्टाफ कार ड्राईवर श्रेणी—1 के पद से है, और वन शिक्षा निदेशालय, देहरादून (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2000 को जहाँ तक उनका संबंध कलाकार, उच्च श्रेणी लिपिक, आशुलिपिक (श्रेणी—2) पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक, अवर श्रेणी लिपिक, शारीरिक प्रशिक्षण और खेल अनुदेशक, स्टाफ कार ड्राईवर की श्रेणी—2, स्टाफ कार ड्राईवर सामान्य श्रेणी के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन शिक्षा निदेशालय, देहरादून और उसके संघटक अकादिमयों और महाविद्यालयों में कलाकार, उच्च श्रेणी लिपिक, आशुलिपिक (श्रेणी—2), पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक, अवर श्रेणी लिपिक, शारीरिक प्रशिक्षण और खेल अनुदेशक, स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी—1), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी—2), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी—2), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी—2), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी—2), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी—3), स्टाफ क्रेणी कार ड्राइवर (श्रेणी—3), स्टाफ कार ड्

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वन शिक्षा निदेशालय, देहरादून और उसके संघटक अकादिमयों और महाविद्यालय (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2016 है ।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. लागू होना :- ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होगें ।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।
- 4. मर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

## 5. **निरर्हता –** वह व्यक्ति –

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तुं यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

- 6. शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।
- 7. व्यावृत्ति इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	ं पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या बेतनमान ।
(1)	(2)	(3)	(4)
1. कलाकार	1* (2016) -: *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड — 1 5200 — 20200 रू. + ग्रेड वेतन 2400 रू.

च	यन या अचनय पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के
	(5)	के लिए आयु—सीमा । (6)	लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं। (7)
	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किंए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण: आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा नियत की जाएगी।	आवश्यक :- (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ; और (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से लित कला का प्रमाणपत्र ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।		भर्ती की पद्भति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्भतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	दो वर्ष ।	सीधी भर्ती द्वारा :
		टिप्पण 1 : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अविध के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित

	अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी –
	(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं: या
	(ii) जिन्होने वेतन बैंड—1 में 5200—20200 रू. + ग्रेड वेतन 1900 रू. में उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो ; और
:	(ख) जिनके पास स्तंम (७) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है ।

यदि विभागिय प्रोन्निति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग
<u>.</u>	से परामर्श किया
And the second second	A SANGE WAS TO SEE THE STATE OF
	जाएगा ।
(12)	( )
समूह 'ग' विभागीय पष्टिसमिति (पष्टिके संबंध में विचार करने के टिगा) टिगारे	(13)
निम्नलिखित होंगे :-	लागू नहीं होता ।
१ संबंधित अकादमी या महाविद्यालय का विभागाध्यक्ष — अध्यक्ष	• •
2 प्राध्यापक, संबंधित राज्य वन सेवा अकादमी या महाविद्यालय – सदस्य	
3 अवर सचिव (वन स्थापन) पर्यावरण, वन और जलवाय	
परिवर्तन मंत्रालय - सटका	
4 केन्द्रीय: सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से	
कोई एक समूह 'क' अधिकारी, - सदस्य	· )
	<ul> <li>संबंधित अकादमी या महाविद्यालय का विभागाध्यक्ष — अध्यक्ष</li> <li>प्राध्यापक, संबंधित राज्य वन सेवा अकादमी या महाविद्यालय — सदस्य</li> <li>अवर सचिव (वन स्थापन) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय — सदस्य</li> <li>केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय या विभाग से कोर्ड एक समह 'क' अधिकारी</li> </ul>

(1)	(2)	(3)	(4)
2. उच्च श्रेणी लिपिक	16 * (2016)	साधारण केन्द्रीय सेवा,	वेतन बैंड-।
	वन शिक्षा निदेशक कार्यालय – 4		
	केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, देहरादून — 3	अनुसचिवीय	ग्रेड वेतन 2400 रू.
	केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, कोयम्बटूर — 3 केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, बर्नाहाट — 3		
	ईस्टर्न फोरेस्ट रेंजर्स कालेज, कुर्सियांग — 3		
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।		

(5)	(6)	(7)
अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता ।
		Cir & Tel Gitti 1

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर
		प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(11)

प्रोन्नितः – वन शिक्षा निदेशालय और उसके संघटक महाविद्यालयों में कार्यरत ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने वेतन बैंड – 1, 5200–20200

रू. + ग्रेड वेतन 1900 रू. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है । टिप्पण 1:— जहाँ ऐसे किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ट

व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2:— प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान या साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह काम केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन या साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :- केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :-

(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ;

(ii). जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रू. + ग्रेंड वेतन 1900 रू. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में आट वर्ष सेवा की है।

टिप्पण 1 :- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्निति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 :— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4:— प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाम केवल उस पद (उन पदों ) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर अधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)		(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए)	जिसमें निम्नलिखित होगें :-	
। । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	– अध्यक्ष	लागू नहीं होता
2. प्रधानाचार्य, संबंधित केन्द्रीय अकादमी या महाविद्यालय राज्य वन् सेवा	– सदस्य	6 121 2111
3. अवर सचिव (वन स्थापन), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	– सदस्य	
4. सबिधेत महाविद्यालय का प्राध्यापक या अनुदेशक. (जिसे अध्यक्ष	, d	
द्वारा नामनिर्देशित किया हो)	– सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)
3. आशुलिपिक श्रेणी — 2	1* (2016) केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, बर्नीहाट –1 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड—। 5200—20200 रू. + ग्रेड वेतन 2400 रू.

(5)	(6)	(7)
लागू नही होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण 1:— आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित की जाएगी।	श्रुतलेखः १० मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट की गति
	टिप्पण 2 :- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दषा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	अनुलिपि : कम्प्यूटर पर 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिंदी)

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी मर्ती द्वारा  टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अविध के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हता है।

٠.					
	(11)	(12)	2.4	1	(13)
1				लागू	नहीं होता ।
	लागू नही होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में वि	वेचार	al lake	
		करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होगें :			
		STOLEGE S	Marie and A		. ,
		1. निदेशक, वन शिक्षा, देहरादून	– अध्यक्ष		
1		2. प्राधानाचार्य, संबंधित केन्द्रीय अकादमी या महाविद्यालय		,	
1		राज्य वन सेवा	– सदस्य	A. De Company	
		3. अवर सचिव (वन स्थापन), पर्यावरण, वन और जलवायू			<u>.</u>
ŀ		परिवर्तन मंत्रालय	– सदस्य		
		4. संबंधित केन्द्रीय अकंग्दमी राज्य वन सेवा का प्राध्यापक			
		या अनुदेशक जिसे अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया हो	– सदस्य		nu.

(1)	: (2)	(3)	(4)
4. पुस्तकालयाध्यक्ष	1* (2016)	साधारण केन्द्रीय सेवा,	वेतन बैंड –।
	केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा बनीहाट – 1	समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	5200—20200 रू. + ग्रेड वेतन 2400 रू.
	* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।		

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच  (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)  टिप्पण 1—: आयु—सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (सिवाय उनके लिए जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू—कश्मीर, राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा—जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)  टिप्पण 2:— रोजगार कार्याल के माध्यम से आने वाले	(ग) आवश्यक :-  (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री ; और  (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र ।
	अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए	

निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

(8)	(9)	(10)	
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा :	
		टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अविध के लिये बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी:—	
		क) (i) जो नियमित अधार पर सदृष पद धारण किए हुए हैं: या  (ii) जिन्होने वेतन बैंड-1 में 5200-20200 रू. + ग्रेड वेतन 1900  रू. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पष्चात  उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो ; और	
		(ख) जिनके पास स्तंभ (७) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित पैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है !	

(11)	(12)	
लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	
n a	<ol> <li>संबंधित केन्द्रीय अकादमी या महाविद्यालय राज्य वन सेवा का प्रधानाचार्य — अध्यक्ष</li> </ol>	
e 1 a wa 1	2. संबंधित केन्द्रीय अकादमी या महाविद्यालय राज्य वन सेवा का विभागाध्यक्ष - सदस्य	
*	3. केन्द्रीय अकादमी या महाविद्यालय राज्य वन सेवा का कोई एक प्राध्यापक — सदस्य	
	(जिसे अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किया गया हो ।)	
	4. अवर सचिव (वन स्थापन) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय — सदस्य	

(13) -लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)
6. अवर श्रेणी लिपिक	16* (2016) वन शिक्षा निदेशक कार्यालय, देहरादून — 1 केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, देहरादून — 5 केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, कोयम्बटूर — 4 केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, बर्नीहाट — 5 ईस्टर्न फोरेस्ट रेंजर्स कालेज, कुर्सियांग — 1  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड –   5200–20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.

	(r)	MANUAN	[PART II—SEC. 3(i)]
	(5)	(6)	
	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच	(7)
		(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दषा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दुष्ण में किर्ण	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; और
	**	की जा सकती है।) टिप्पण 1:- आय सीमा अवस्पि -	(ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द
		जाएगी ।	प्रति मिनट की टंकण गति (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर 10500 की डिप्रेशन प्रति
	f	टेप्पण 2 :— रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले	घंटा के अनुरूप 35 और 30 महन
		अभ्यर्थियों की दषा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	प्रति मिनट) ।
-	(8)	(0)	

(8) हां, स्तम संख्या (II) में यथा निर्दिष्ट विस्तार तक	(ii) विभागीय अर्हक पर (iii) 5: रिक्तियां ऐसे वेतन 1800 क्र. में	(10) योग के माध्यम से 85% सीधी भर्ती रीक्षा के आधार पर 10: रिक्तियाँ समूह 'ग' कर्मचारियों से जिसने ग्रेड उस पद पर तीन वर्ष नियमित सेवा ता—सह उपयुक्तता के आधार पर भरी
--	---	--

(i) 10 प्रतिशत रिक्तियां ग्रेड वेतन 1800 रु. मे ऐसे समुह 'ग' कर्मचारीवृंद में से भरी जाएगी जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किया हो और जिन्होंने विभागीय अर्हक परीक्षा के आधार पर उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है । टिप्पण 1 — परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष है, (अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए

टिप्पण 2 — यदि ऐसे कर्मचारियों की संख्या परीक्षा में अर्हित उपलब्ध रिक्तियों की संख्या से अधिक है तो कर्मचारियों की ऐसी अधिक संख्या पर पश्चातवर्ती वर्षों में उद्भूत होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ताकि पूर्वत्तर परीक्षा में अर्हित होने वाले कर्मचारियों पर उन कर्मचारियों से पहले विचार किया जा सके जो बाद में होने वाली परीक्षा में अर्हित होते हैं ।

(ii) 5 प्रतिशत रिक्तियां समुह 'ग' कर्मचारियों में से ज्येष्टता—सह—उपयुक्तता के आधार पर भरी जाएंगीं जिन्होंने ग्रेड वेतन

समूह 'ग' विभागीय पुष्टिसमिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के		(10)
" 1 KIGH 196816 25312-1 .	लिए) जिसमें निम्नलिखित	(13) लागू नहीं होता
<ol> <li>प्रधानाचार्य, संबंधित केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा</li> <li>अवर सचिव (वन स्थापन),</li> </ol>	– अध्यक्ष – सदस्य	
पयावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 4. विभाग से बाहर का सम्बन्धित स्वीतिक	- सदस्य	
वन्या मियावत किया गया हो ।	– सदस्य	
संबंधित महाविद्यालय का प्राध्यापक या अनुदेशक, जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया गया हो।		
17 (d)	– सदस्य	w

(1) 7. शारीरिक प्रशिक्षण और खेल अनुदेशक	(2)  4* (2016)  केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, देहरादून — 1 केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, कोयम्बटूर — 1 केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा, बर्नीहाट — 1 ईस्टर्न फोरेस्ट रेंजर्स कालेज, कुर्सियांग / — 1  * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	(3) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	(4) वेतन बैंड —   5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रू.
---	---	--	---

(5)	(6)	
लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष क़े बीच	(7)
	किन्द्रीय सम्बद्धाः सम्बद्धाः स्टब्स्	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से
	(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदर्शों या आदेशों के	१२वीं कक्षा ।
	अनुसार सरकारा सवका के लिए शिथिल करके 10 वर्ष तक की	2000
	जा सकती है।)	(ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से
		शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक
	टिप्पण 1 :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक	का प्रमाण पत्र या शारीरिक
	तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा नियत की	प्रशिक्षण और ड्रिल सिखाने में
- Rank	जाएगी ।	अर्हक एक भूतपूर्व सैनिक
	311/11	हवलदार ;
	A	-
	टिप्पण 2 :- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले	(iii) अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान ।
	अभ्याथयां की दशा में आयसीमा अवधारित करते हैं ।	
	लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिन्म	*
	तक रोजगार कार्यालंय से नाम भेजने के लिए कहा	m. *
	गया है।	

(8) लागू नहीं होता	लागू नही होता	रीधी भर्ती द्वारा :
		टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी र किन्हीं अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लि बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी जो सदृश पद धारण किए हुए और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों व लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है ।

लागू नही होता	(12) समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) होंगें	Aur. A. A.	(13)
	होंगें:-	जिसम निम्नालखित	लागू नहीं होत
	1. संबंधित केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा या महाविद्यालय		å
	को विभागाध्यक्ष		
	2. अवर सचिव (वन स्थापन), पर्यावरण, वन और जलवायु	– अध्यक्ष	
	परिवर्तन मंत्रालय		w
	3. संबंधित केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा महाविद्यालय का प्राध्यापक	– सदस्य	
	या अनुदेशक (जिसे अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया गया हो)	Total A	
	ज अवस्तर (जिस्न अध्यक्ष द्वारा नीमनिदाशत किया गया हो)	– सदस्य	

3. स्टाफ कार चालक (श्रेणी–1)	(2) 2* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	(3) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	ं (4) वेतन बैंड-। 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु.
---------------------------------	---	---	---

(5)	(6)	(7)
अचयन	लागू नहीं होता	लागू नही होता
0.2		

(8)	(9)	(10)	
लागू नहीं होता	ं लागू नहीं होता	प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	

(11)

प्रोन्नितः –

वन शिक्षा निदेशलय या उसके संघटक महाविद्यालयों से ऐसे स्टाफ कार चालक (श्रेणी—2) जिन्होंने वेतन बैंड—1, 5200—20200 रू + ग्रेड वेतन 2400 रू. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है या वेतन बैंड—1, 5200—20200 रू. + ग्रेड वेतन 1900 रू. में स्टाफ़ कार चालक (श्रेणी—2) और स्टाफ़ कार चालक (साधारण श्रेणी) में पंद्रह वर्ष की संयुक्त सेवा की है और जिन्हें निम्नलिखित व्यवसायिक परीक्षण अर्हक करना होगा, अर्थात :—

- (i) अंग्रेजी और संख्याओं को पढ़ने के योग्य हो :
- (ii) यातायात नियमों और विनियमों की अच्छी जानकारी हो ;
- (iii) पैट्रोल और डीजल इंजनों की अच्छी जानकारी हो और छोटी-मोटी खराबियों को पता लगाने तथा उन्हे दूर करने के योग्य हो ;
- (iv) कार्बोरेटर, प्लग आदि को साफ करने के योग्य हो ।

पर्रीक्षण :- उपरोक्त के आधार पर व्यवहारिक परीक्षण ।

टिप्पण 1: जहां ऐसे किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ट व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनश्ठ व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाम केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

# प्रतिनियुक्ति द्वारा :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त संगठनों और निगमों के ऐसे चालक :--

(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं: या

(ii) जिन्होंने वेतन बैंड–1, 5200–20,200 रू. + ग्रेंड वेतन 1900 रू. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तेरह वर्ष नियमित सेवा की हो ।

टिप्पण 1 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 :- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाम केवल उस पद (उन पवों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें	निम्नलिखित लागू नहीं होता ।
1. संबंधित केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा या महाविद्यालय का प्रधानाचार्य — अध्यक्ष	
2. अवर सचिव (वन स्थापन), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय — सदस्य	
3. संबंधित केन्द्रीय अकादमी राज्य वन सेवा या महाविद्यालय का प्राध्यापक	
या अनुदेशक, (जिसे अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया गया हो) — सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)
9. स्टाफ कार चालक (श्रेणी — 2)	- 2* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	समृह 'ग' अराजपत्रित.	वेतन बैंड — 1 5200—20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रू.

(5)	(6)	(7)
अचयन '	लागू नही होता	, लागू नही होता

ोता -	लागू नहीं होता	प्रोन्नति, जिसके न हो सकने पर
		प्रतिनियुक्ति द्वारा ।
1	ता	ता लागू नही होता

#### प्रोन्नति : -

वन शिक्षा निदेशलय या उसके संघटक महाविद्यालयों या अकादिमयों के ऐसे स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) जिन्होंने वेतन बैंड–1, 5200–20200 रू. + ग्रेड वेतन 1900 रू. में नियमित आधार पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात नौ वर्ष सेवा की है और जिन्हें निम्निलिखित व्यवसायिक परीक्षण अर्हक करना होगा, अर्थात :-

(11)

- (i) अंग्रेजी और संख्याओं को पढ़ने के योग्य हो ;
- (ii) यातायात नियमों और विनियमों की अच्छी जानकारी हो ;
- (iii) पैट्रोल और डीजल इंजनों की अच्छी जानकारी हो और छोटी—मोटी खराबियों को पता लगाने तथा उन्हें दूर करने के योग्य हो ;
- (iv) कार्बोरेटर, प्लग आदि को साफ करने के योग्य हो ।

परीक्षण : - उपरोक्त के आधार पर व्यवहारिक परीक्षण ।

टिप्पण 1: जहां ऐसे किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ट व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएंगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ट व्यक्तियों सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाम केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

## प्रतिनियुक्ति द्वारा :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त संगठनों और निगमों के ऐसे चालक :--

(i) जो नियमित आधार पर सदृष पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20,200 रू. + ग्रेंड वेतन 1900 रू. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी

टिप्पण 1 :— प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 3 :- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाम केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्निलखित	(13)	
err.	् लागू नहीं होत	ता -
1. संबंधित केन्द्रीय अकादमीः राज्य वन सेवा या महाविद्यालय का प्रधानाचार्य – अध्यक्ष	7	141
2. अपर सायव (वन स्थापन), प्रयोवरण वन और जलवारा प्रिवर्वन मंगान्य		
उ. राबावरा कन्द्राय अकादमा राज्य वन सवा या महाविद्यालय का पाष्ट्रगापक		
या अनुदेशक, (जिसे अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया गया हो) — सदस्य	neg virida 🐪	

10. स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)	(2) 4* (2016)	(3) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	5200-20200 रु. +
		H 12 2	ग्रेड वेतन 1900 रू.
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।		

(5)	(6)	1
लागू नही होता	18 से 27 वर्ष के बीच	+
	(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है ।)	
	टिप्पण 1 :- आयु सीमा अवधारित करने के निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम	(
	तारीख होगी सिवाय उनके लिए जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कष्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति	(
	जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है । ) टिप्पण 2 :- रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले	
1.00	अभ्याथयां को दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्याच्या से	व हे से
	नाम भेजने के लिये कहा गया है ।	से

## आवश्यक :--

- (i) मैट्रिकुलेशन ;
- (ii) मोटर कार के लिए विधिमान्य मोटर चालन अनुज्ञप्ति हो ;

(7)

- (iii) मोटर कार चलाने के लिए कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो ; और
- (iv) मोटर यांत्रिकी का ज्ञान (अभ्यर्थी को यान में छोटी—मोटी खराबियों को दूर करने के योग्य होना चाहिए)

वांछनीय :-

होमगार्ड / स्वयं सेवक के रूप में तीन वर्ष सेवा ।

, लागू नही होता	(9) सीधी भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए दो वर्ष	(10) सीधी भर्ती द्वारा, जिसके प्रतिनियुक्ति द्वारा	न ह	ो सकने	पर
				-	

(11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा :

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत्त संगठनों और निगमों के ऐसे चालक :-

(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(ii) जिनके पास स्तंभ (७) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है ।

टिप्पण 1: — प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2: — प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं

टिप्पण 3: — प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सिहत एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड-वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति (प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें वि	(13)
. रामाना प्रभाव अकादमा शुरुव वन सवा या महाविद्यालय का महानानानी	नेम्नलिखित होंगे :-
2. अवर सीचव (वन स्थापन) पर्यावरण वन और जलवारा परिवर्तन पंचानप	सदस्य
3. संबाधत कन्द्राय अकादमा राज्य वन सेवा या महाविद्यालय का पाध्यापक	
या अनुदेशक, (जिसे अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया गया हो)	सदस्य

[फाइल सं. 9-5/2012-एफ. ई.] जे. पी. मीणा, अवर सचिव

# MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 11th July, 2016

G.S.R. 709(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of the Forest Education, Dehradun (Grade – I) Staff Car Driver Recruitment Rules, 2000 relating to the post of Grade I Staff Car Driver and in supersession of the Directorate of the Forest Education, Dehradun (Group 'C' and 'D' posts) Recruitment Rules, 2001; in so far as they relates to the posts of Artist, Upper Division Clerk, Stenographer (Grade-II), Librarian, Laboratory Assistant, Lower Division Clerk, Physical Training and Games Instructor, Grade-II of Staff Car Drivers, Ordinary Grade of Staff Car Drivers, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Artist, Upper Division Clerk, Stenographer (Grade-II), Librarian, Laboratory Assistant, Lower Division Clerk, Physical Training and Games Instructor, Staff Car Driver (Grade-I), Staff Car Driver (Grade-II), Dehradun and its constituent academies and Colleges, namely:-

- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Directorate of Forest Education, Dehradun and its Constituent Academies and College (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2015.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Application.-** The rules shall apply to posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale. The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 5. Disqualification.- No person,-
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.
  - 7. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Artist.	1* 2016  *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1: Rs.5200-20200 with grade pay of Rs. 2400.	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	age and	probation, if any.
Between 18 to 27 years (relaxable for Government servants up to the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  Note: The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.	recognised Board; and	(8) Not applicable.	(9) Two years.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments.
By direct recruitment.	(11)	. (12)	. (13)
Note:- Vacancies caused by the incumbent being away on transfer on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government,- (a) (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) with eight years' regular service in the grade rendered after appointment on a regular basis in the pay band – 1: Rs. 5200 – 20200 with grade pay of Rs.1900; and (b) prossessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-  1. Head of Office of the Academy or College concerned - Chairman; 2. Lecturer, State Forest Service College or Academy concerned - Member, 3. Under Secretary (Forest Establishment), Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member, 4. A Group 'A' officer from any other Ministry or Department of the Central Government Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Upper Division Clerk.	16* (2016) Director Forest Education's Office - 4 Central Academy for State Forest Service, Dehradun - 3 Central Academy for State Forest Service, Coimbatore - 3 Central Academy for State Forest Service, Burnihat - 3 Eastern Forest Rangers College, Kurseong - 3 *Subject to variation dependent on workload.		Pay band-1: Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs.2400.	Non-selection

. (0)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by

(11)	(12)	(13)
Promotion  Lower Division Clerks with eight years' service in the	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-	Not applicable.
grade rendered after appointment on regular basis in the pay band-1: $Rs.5200-20,200$ with grade pay of $Rs.1900$ working in the Directorate of Forest Education and its constituent colleges.	Director, Forest Education, Dehradun     Chairman;	
Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Principal Central Academy for State Forest Service or College concerned - Member,      Under Secretary (Forest Establishment), Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member,      Lecturer or Instructor of the concerned College (to be nominated by the Chairman) - Member.	
Note 2: For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1 <sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
By deputation:		
Officers of the Central Government - (1) holding analogous post on a regular basis, (2) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay band - 1: Rs.5200-20,200 with grade pay of Rs.1900 or equivalent.		
Note 1: The Departmental Officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for considered for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		
Note 2: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.		
Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the date of receipt of applications.		
Note 4: For the purposes of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1 <sup>st</sup> January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay		

or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Stenographer Grade-II.	1* (2016) Central Academy for State Forest Service Burnihat - 1  *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Pay band-1: Rs.5200-20200 with grade pay of Rs. 2400.	Not applicable.

(6)	(7)	(8)	(9) ·
Between 18 to 27 years (relaxable for	(i) 12th Class pass from a	Not applicable.	Two years.
Government servants up to the age of 40	recognised Board; and		
years in accordance with the instructions or	(ii) Skill Test Norms :-		
orders issued by the Central Government).	Dictation: 10 minutes @ 80 words		
Note 1: The crucial date for determining	per minute.		
the age limit shall be as advertised by the	Transcription: 50 minutes (English)	The street	
Staff Selection Commission.	65 minutes (Hindi) on computer.		A E COMMITTED
Note 2: In the case of recruitment made			- 1 1 1 1 1 X
through the Employment Exchange, the	Committee of the commit		
crucial date for determining the age limit			
shall be the last date on which the			:
Employment Exchange is asked to submit	91.		
the name.			

(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment.  Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officers of the Central Government holding analogous posts on regular basis and possessing the qualification prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-  1. Director Forest Education, Dehradun – Chairman;  2. Principal, Central Academy for State Forest Service or College Concerned – Member,  3. Under Secretary (Forest Establishment), Ministry of Environment, Forest and Climate Change – Member,  4. Lecturer or Instructor of the concerned Central Academy for State Forest Service to be nominated by the Chairman – Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Librarian.	1* (2016)  Central Academy for State Forest Service Burnihat - 1	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-1: Rs.5200-20200 with grade pay of Rs. 2400.	Not applicable.
	*Subject to variation dependent on workload.			

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 to 27 years (relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application except for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Division and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.  Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determination of the age limit shall be the last date on which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Essential:-  (i) Degree from a recognised University; and  (ii) Certificate in Library Science from a recognised University or Institute.	Not applicable.	Two years.

(10)	(11)	(12)	(13)
Note:- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filed on deputation basis from officers of the Central Government:-  (a) (i) holding analogous post on regular basis; or  (ii) with eight years' of regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis pay band – 1 Rs. 5200 – 20200 with grade pay of Rs.1900; and  (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-  1. Principal of Central Academy for State Forest Service or College concerned — Chairman;  2. Head of Office of Central Academy for State Forest Service or College concerned — Member,  3. One of the Lecturer of Central Academy for State Forest Service or College (to be nominated by the Chairman) Member,  4. Under Secretary (Forest Establishment), Ministry of Environment, Forest and Climate Change — Member.	Not applicable.

6. Lower	16* (2016)	(3)	(4)	(5)
Division Clerk.	Director Forest Education's Office — 1 Central Academy for State Forest Service, Dehra Dun — 5 Central Academy for State Forest Service, Coimbator — 4 Central Academy for State Forest Service, Burnihat — 5 Eastern Forest Rangers College, Kurseon — 1	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Ministerial.	Pay band—1: Rs.5200— 20,200 with grade pay of Rs.1900.	Not applicable.
	*Subject to variation dependent on workload.			A. Or

Between 18 to 27 years (relaxable for	(i) 13 <sup>th</sup> Class 6	(8)	. (9)
case of general candidates and upto 45 years in the case of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.	(i) 12th Class from a recognised Board or University; and (ii) Typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer (35 words per minutes and 30 words per minutes correspond to 10500 Key Depressions per minutes/9000 Key Depressions per minutes on an average of 5 Key Depressions for each word).	Yes, to be extended as indicated in column number (11).	Two.years.

(10)	(14)		
(i) 85% direct recruitment through Staff Selection Commission.  (ii) 10% vacancies on the basis of departmental qualifying examination.  (iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who have rendered three years regular service in the posts with grade pay of Rs. 1800.	Group 'C' staff in the grade pay of Rs. 1800 who posses 12 <sup>th</sup> Class pass and have rendered three years regular service in the grade, on the basis of departmental qualifying examination.  Note 1: The maximum age limit for eligibility for examination is 45 years. (50 years age for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes)  Note 2: If more of such employees than the number of vacancies available qualifies at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.  (ii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who have rendered three years regular service in posts with grade pay of Rs. 1800.	Confirmation Committee (for	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
7. Physical Training	4* (2016)	General Central	Pay band-1:	Not applicable.	
and Games Instructor.	Central Academy for State Forest Service, Dehradun	Service, Group 'C', Non-Gazetted,	Rs.5200–20200 with grade pay of Rs.1900.		
	Central Academy for State Forest Service, Coimbatore	Non-Ministerial.	man and i		
	Central Academy for State Forest Service, Burnihat				
	Eastern Forest Rangers College, Kurseong - 1	•			
	*Subject to variation dependent on workload.				

. (6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 to 27 years (relaxable for Government servants up to the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission.	(i) 12 <sup>th</sup> Class from a recognised Board; (ii) Certificate of Physical Training Instructor from a recognised Institute or an Ex-serviceman Havaldar qualified to teach physical training and drill; and (iii) Working knowledge of English.	Not applicable.	Two years.
Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date on which the Employment Exchange is asked to submit the name.			

(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment.  Note- Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government holding analogous post on regular basis and possessing the qualification and experience prescribed for the direct recruits under column (7).	Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:  1. Head of office of the concerned Central Academy for Forest Service or College — Chairman;  2. Under Secretary (Forest Establishment), Ministry of Environment, Forest and Climate Change Member,  3. Lecturer or Instructor of concerned Central Academy for Forests Service or College (to be nominated by the Chairman) — Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. Staff Car Driver (Grade-I).	2* (2016)	General Central Service, Group 'C',	Pay band-1: Rs.5200- 20200 with grade pay	Non-selection.
	*Subject to variation dependent on workload.	Non-Gazetted, Non-Ministerial.	of Rs. 2800.	

(6)	. (7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion, failing which by deputation.

11	12	13
Promotion:	Group 'C' Departmental	Not
Staff Car Driver (Grade-II) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band-1: Rs.5200-20,200 with grade pay of Rs.2400 or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the pay band-1: Rs.5200-20,200 with grade pay of Rs.1900, in the	Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-	applicable.
Directorate of Forest Education or its constituent colleges and shall quality Trade Test in the following, namely:-	1. Principal of the concerned Central Academy for State Forest Service or College —	
(i) must be able to read English and Numerals;	Chairman;	
(ii) must have thorough knowledge of traffic rules and regulations;	2. Under Secretary (Forest	
(iii) must have good knowledge of petrol and diesel engines and be able to locate faults and rectify minor defects; and	Establishment), Ministry of Environment, Forest and	
(iv) must be able to clean carborettor, plug etc.	Climate Change – Member,	
Tests: Practical test based on the above.	Wember,	
Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility apprises the constant of the co	3. Lecturer or Instructor of the concerned Central Academy for State Forest Service or College (to be nominated by the Chairman)	
or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Member.	
Note 2: For the purposes of computing minimum qualifying service for ordered on a regular basis by an officer prior to		
1st January 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the		
said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or		
pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		
By deputation:		
Orivers of Central Government or State Government Departments or Public Sector Undertakings or Autonomous Organisations or Corporations:		
holding an analogous posts on regular basis;		
ii) with thirteen years' regular service in the grade rendered after ppointment thereto on regular basis in pay band – 1: Rs. 5200–20,200 with grade pay Rs. 1900 or equivalent.		
lote 1: Period of deputation including the period of deputation in other x-cadre post held immediately preceding this appointment in the same r some other organisation or Department of the Central Government hall ordinarily not to exceed three years.		
ote 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.		
ote 3: For the purposes of computing minimum qualifying service for eputation the service rendered on a regular basis by an officer prior to January, 2006 or the date from which the revised pay structure based.		

on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(1)	. (2)	(3)	(4)	(5)
9. Staff Car Driver (Grade-II).	2* (2016)  *Subject to variation	Group 'C', Non-Gazetted,		Non- selection.
	dependent on workload.	TYON-IVIIIISTELIAI.	grade pay of Rs.2400.	

(6)	(7)	. (8)	(9)		(10)		
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Promotion, deputation.	failing	which	by .

11	12	13
Promotion:	Group 'C' Department	Not applica
Staff Car Driver (Ordinary Grade) with nine years' service in the grade rendered after	Promotion Committee	
appointment thereto on regular basis in the pay band-1: Rs.5200-20,200 with grade p	considering promotion	1
Rs. 1900, in the Directorate of Forest Education or its constituent colleges or academi	consisting of:-	
shall qualify Trade Test in the followings namely:-		
	1. Principal of the cond	,
(i) must be able to read English and Numerals;	Central Academy for S	
(ii) must have thorough knowledge of traffic rules and regulations;	Forest Service or Colle	
(iii) must have good knowledge of petrol and diesel engines and be able to locate fau	- Chairman;	
rectify minor defects; and	2. Under Secretary (Fo	
(iv) must be able to clear carburettor, plug etc.	Establishment), Minist	
Tests: Practical test based on the above.	Environment, Forest ar	
	Climate Change -	
Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service	Member,	
being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided t	3. Lecturer or Instructo	
are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of	the concerned	1 3 30
qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successf	Academy for State For	The state of
completed their probation period for promotion to the next higher grade along v	Service or College (to	
their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	nominated by the Chair	
Note 2: For the purposes of computing minimum qualifying service for promotion the	- Member.	
service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date		
which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central P		
Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the		
corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the		
Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised so		
pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will		
extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replace		
grade without any upgradation.		
By deputation:		
Drivers of Central Government or State Government Departments or Public Sector		
Undertakings or Autonomous Organisations or Corporations:	/	
(i) holding an analogous posts on regular basis;		
(ii) with eight years' regular service in the grade rendered after appointment thereto		
regular basis in pay band-1: Rs. 5200-20,200 with grade pay Rs.1900 or equivalent.		

Note 1: Period of deputation including the period of deputation in other ex-cadre post immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3: For the purposes of computing minimum qualifying service for deputation, the

Note 3: For the purposes of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central P. Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised so pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replace grade without any upgradation.

10. Starr Ca	(2) 4* (2016)	(3) General Central Service, Group 'C',	1 ay band 1.	Not applicable.
Driver (Ordinary Grade) *Subject dependent of	*Subject to variation	Non-Gazetted, Non-Ministerial.	of Rs.1900.	

	(7)	(8)	(9)
Between 18 to 27 years (relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by Central Government).  Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application except for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division	Essential:  (i) Matriculation;  (ii) Possession of a valid motor driving license for Motor Cars;	Not applicable.	Two years for direct recruits.
Mizoram, Manipur, Nagarand, Orden, of Jammu and Kashmir state, Lahaul and spiti District and pangi sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.  Note 2: In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determination of the age limit shall be last date on which the Employment Exchange is asked to submit the names.	driving a motor car for at least three years; and  (iv) knowledge of Motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicle		
	Desirable: Three years' service as Home Guard Civil Volunteers.		

		(12)	(13)
By direct recruitment failing which by deputation.	By deputation.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation)	Not applicable.

- (i) holding an analogous posts on regular basis;
- (ii) possessing the qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7).
- Note 1: The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.
- Note 2: The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
- Note 3: For the purposes of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

- 1. Principal of the concerned Central Academy for State Forest Service or College -Chairman;
- 2. Under Secretary (Forest Establishment), Ministry of Environment, Forest and Climate Change - Member,
- 3. Lecturer or Instructor of concerned Central Academy for State Forest Service or College (to be nominated by the Chairman) - Member.

[F. No. 9-5/2012-FE]